सं0– 575 / उन्तीस(2) / 11–2(168पे0) / 2006

प्रेषक,

सुरेन्द्र सिंह रावत
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक
उत्तराखण्ड पेयजल निगम
देहरादून।

पेयजल अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांकः 05 मई, 2011

विषयः राज्य सैक्टर की नगरीय पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2011–12 में जनपद देहरादून की डोईवाला पुनर्गठन पेयजल योजना के कियान्वयन हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 525 / नियोजन अनुभाग / धनावंटन प्रस्ताव / 08 दिनांक 26.03.2011 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 में राज्य सैक्टर नगरीय पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद देहरादून की निमार्णाधीन डोईवाला पुनर्गठन पेयजल योजना (अनु0लागत ₹ 390.60 लाख) हेतु पूर्व अवमुक्त 150.00 लाख का पूर्ण उपयोग हो जाने के फलस्वरूप योजना के अवशेष कार्यो के कियान्वयन हेतु ₹ 200.00 लाख (₹ दो करोड़ मात्र) की धनराशि के व्यय हेतु निम्न शर्तो के अधीन आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

1– उक्त धनराशि वास्तविक आवश्यकता के आधार पर प्रबन्ध निदेशक उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून के हस्ताक्षर तथा जिलाधिकारी, देहरादून के प्रतिहस्ताक्षर युक्त बिल देहरादून कोषागार में प्रस्तुत करके किश्तों में आहरित की जायेगी। आहरण से सम्बन्धित बिल बाउचर संख्या एंव दिनांक की सूचना शासन एंव महालेखाकार को आहरण के तुरन्त बाद उपलब्ध करायी जायेगी।

2– स्वीकृत की जा रही धनराशि का 30.06.2011 तक पूर्ण उपयोग कर कार्य की वित्तीय / भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाणपत्र शासन को प्रस्तुत किया जाय।

3– कराये जाने वाले कार्यो पर वित्त(वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7 के शासनादेश संख्या 163 / XXVII(7) / 2007, दिनांक 22.05.08 के अनुसार सेन्टेज प्रभार अनुमन्य होगा। स्वीकृत लागत में सैन्टेज राशि सम्मिलित है।

4– व्यय करने से पूर्व उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 का पालन कड़ाई से किया जाय।

5– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत नार्म है। स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

6– कार्य की गुणवत्ता एंव समयबद्धता हेतु सम्बन्धित निर्माण ऐजेन्सी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगी।

7– कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन / मानचित्र गठित कर नियमानुसार संक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य को प्रारम्भ न किया जाय।

8– एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

9– उक्त योजनाओं से सम्बन्धित स्वीकृत पूर्व शासनादेशा में उल्लिखित सभी शर्ते यथावत रहेंगी।

क्रमशः..2

10– निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व सामग्री का किसी प्रयोगशाला में टैस्टिंग करा ली जाय तथा उपयुक्त पाई जाने वाली सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाय।

11– यदि स्वीकृत राशि में स्थल विकास कार्य सम्भव न हों, तो कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन मानचित्र गठित कर शासन से स्वीकृति प्राप्त करनी होगी। स्वीकृत राशि से अधिक कदापि व्यय न किया जाय।

12– मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 2047/XIV– 219(2006) दिनांक 30 मई, 2006 द्वारा निर्गत आदेशों के क्रम में कार्य करते समय/कार्य करते समय कढ़ाई से पालन करने का कष्ट करें।

13– उपरोक्त के अतिरिक्त निर्माणाधीन योजनाओं पर पूर्व में धनावंटन से सम्बन्धित शासनादेशों में उल्लिखित शेष सभी शर्तें यथावत् रहेंगी।

14– **उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 के लेखानुदान सं0–13 के अंतर्गत लेखाशीर्षक "4215–जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय –01–जलपूर्ति–––101–शहरी जलापूर्ति कार्यक्रम–03– नगरीय पेयजल–01–नगरीय पेयजल तथा जलोत्सारण योजनाओं का निर्माण–35–पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के नामे" डाला जायेगा ।**

15– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 26/XXVII(2)/2010, दिनांक 04 मई, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(सुरेन्द्र सिंह रावत)
अपर सचिव

पृ0सं0 575(1) **/उन्तीस(2)/11–2(168पे0)/2006तददिनांक**

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1.महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून ।
2.मण्डलायुक्त गढ़वाल।
3.जिलाधिकारी, देहरादून।
4.मुख्य क़ोषाधिकारी, देहरादून।
5.मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान देहरादून।
6.निदेशक, स्वजल परियोजना, देहरादून उत्तराखण्ड।
7.सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड पेयजल निगम।
8.वित्त अनुभाग–2/वित्त(बजट सैल)/राज्य योजना आयोग उत्तराखण्ड।
9.निजी सचिव, मा0 पेयजल मंत्री को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
10.स्टाफ ऑफिसर–मुख्य सचिव, को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
11.निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क निदेशालय, देहरादून।
12.निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
13.गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(नवीन सिंह तड़ागी)
उप सचिव